27.01.2021 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामील प्राप्त है। लेकिन उपस्थित नहीं। आर-2, एफ-2 आवाजें लगाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं आया। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23.02.2021 को पेश हो।

23.02.2021 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी वकील की एक तरफा बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24-02-2021 को पेश हो।

24.02.2021 पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 212, राज० काश्तकारी कानून, 1955 स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय [illegible] से संलग्न। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] दफ्तर हो।

Priyanka
उप जिला कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:01:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति प्रियंका बिश्नोई आर.ए.एस.

अनवान –

1. नरसीराम पुत्र श्री मुखराम जाति जाट निवासी 2 डी.एम. (धांधड़ा) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

......प्रार्थी.......

बनाम

1. भागीरथ पुत्र श्री जैसाराम जाति जाट निवासी 2 डी.एम.(धांधड़ा) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
2. मुखराम पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट निवासी 2 डी.एम.(धांधड़ा) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
3. राजू पुत्र श्री भागीरथ जाति जाट निवासी 2 डी.एम.(धांधड़ा) तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
4. राधा पुत्री भागीरथ पत्नी श्री औम प्रकाश जाति जाट निवासी 10 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
5. काली पुत्री श्री भागीरथ पत्नी श्री धनराज जाति जाट निवासी 10 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
6. गौरा पुत्री श्री भागीरथ पत्नी श्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 10 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)
7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर।

......अप्रार्थीगण......

उपस्थिति – 1. श्री प्रवीन चुघ वकील प्रार्थी
2. पैराकार राज तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

निर्णय दिनांक – 24/02/2021

प्रकरण संख्या – 60/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:01:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है [illegible] अन्तर्गत 188, 88, 53, 92(ए), 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible]
प्रार्थी के द्वारा उपरोक्त अनवान [illegible] न्यायालय में पेश किया है। उपरोक्त वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धा[illegible] 12 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से वाके चक 2 डी.एम. तहसील श्री विजयनगर की खतौनी संख्या 45/42 मुरब्बा नं. 86 प.नं. 103/19 में 6.198 है.

लगातार...........2

Priyanka
[illegible] जिला कलेक्टर
[illegible]

Scanned with CamScanner

नहरी भूमि खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से वादी के दादा श्री जैसाराम की मृत्यु के पश्चात् बतौर विरासतन प्राप्त हुई है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम की भूमि हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति की श्रेणी में आती है। अब कुछ समय से अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 3 के बहकावे में आकर मेरे पिताजी जो मंद बुद्धि व भोले भाले प्रवृति के है, के हिस्सा एवं हक को हड़प करने के लिए अप्रार्थी संख्या 3 अप्रार्थी संख्या 1 को हर समय उकसाता रहता है जबकि इस भूमि को काफी अरसा से ही अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को बांट कर दी हुई है जिसके अनुसार उक्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का अन्य अप्रार्थीगण द्वारा अपना हिस्सा मौखिक परित्याग किये जाने के बाद प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा बनता है जिसके अनुसार प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 2 की 1/3 हिस्सा की भूमि तादादी 2.066 हैक्टर नहरी भूमि हिस्सा में आती है जिसमें प्रार्थी बाद घोषणा अपने पिता अप्रार्थी संख्या 2 की 2.066 हैक्टर नहरी भूमि में अपना 1/2 हिस्सा तादादी 1.033 हैक्टर भूमि का अपने आपको खातेदार घोषित करवाने का विधिक अधिकारी है। अब गत कुछ समय पूर्व अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 को उकसाकर प्रार्थी तथा उसकी माता व अप्रार्थी संख्या 2 के साथ मारपीट की तथा मारपीट कर घर से निकाल दिया जिस पर प्रार्थी ने अपने साथ मौतबीर व्यक्तियों को लेकर अप्रार्थी संख्या 1 को बार बार समझाया तथा हमारे रिश्तेदारों ने भी अप्रार्थी संख्या 1 को काफी समझाया कि उक्त भूमि को रिकॉर्ड में प्रार्थी अथवा उसके पिता अप्रार्थी संख्या 2 के नाम करवा देंवे तो अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 3 के बहकावा में आकर पंचायत के समक्ष दिनांक 17/07/2020 को प्रार्थी व उसके पिता अप्रार्थी संख्या 2 को जान से मारने पर उतारू हो गया तथा पंचायत में अप्रार्थी संख्या 3 राजू ने भी कहा कि वे उनको कोई हिस्सा नहीं देगे तथा इस जमीन से बेदखल कर इस जमीन को औने पौने दाम में बेच देंगे जिस पर प्रार्थी व साथ गये मौतबीर व्यक्तियों ने उन्हे समझाया कि उक्त भूमि हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति है जिस भूमि में से प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा बनता है जिस पर 1/3 हिस्सा में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा बनता है जो भूमि प्रार्थी या उसके पिता अप्रार्थी संख्या 2 के नाम करवाने का कहा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 3 के दबाव में आकर जमीन करवाने से प्रथमतया टाल मटोल करने के बाद इन्कार कर दिया तथा प्रार्थी व मौतबीरान व्यक्तियों को पंचायत के समक्ष धमकी दी कि उक्त विवादित भूमि उसके नाम है वह आज ही किसी अन्य को बेचान करेगा। अगर इसमें प्रार्थी ने कोई आनाकानी की तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। जो यही तारीख बिनाय मुखास्मत वाद है तथा बिनाए दावा व प्रार्थना पत्र प्रार्थी को उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम प्रार्थी के दादा स्वर्गीय श्री जैसाराम [illegible] बतौर विरासतन प्राप्त होने के रोज से प्राप्त है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने [illegible] इरादे में कामयाब होकर विवादित भूमि को किसी अन्य [illegible] भूमि का कब्जा सुपुर्द कर देता है तो प्रार्थी का पैदायशी हक समाप्त [illegible] जिससे प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिस [illegible] मूल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि हिन्दू खानदान की कोपासरी सम्पति की परिभाषा में आने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 के 1/3 हिस्सा में अपना 1/2 हिस्सा का अपने आपको खातेदार घोषित करवाने व उसी अनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने का

लगातार..........3

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:01:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विधिक रूप से अधिकारी है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने इस नापाक इरादे में कामयाब होकर विवादित भूमि को किसी भी प्रकार से रहन बैय अथवा हस्तान्तरण कर देतो है तो इससे प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा तथा अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन मुद्राओं में नहीं किया जा सकेगा इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है जब तक उक्त भूमि में से प्रार्थी के पिता अप्रार्थी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा की घोषणा नहीं हो जाती तथा उसके बाद अप्रार्थी संख्या 2 के 1/3 हिस्सा में प्रार्थी के 1/2 हिस्सा की घोषणा नहीं हो जाती है तथा भूमि का किस्म के अनुसार विभाजन नहीं होता है तब तक अप्रार्थी इस भूमि के किसी भू भाग को रहन बैय अथवा हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसी कोई कार्यवाही न करे जिससे प्रार्थी उक्त भूमि में अपने पैदायशी हक से वंचित होता हो। आदि का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वे चक 2 डी.एम. तहसील श्री विजयनगर की खतौनी संख्या 45/42 मुरब्बा नं. 86 प.नं. 103/19 में 6.198 है. नहरी भूमि में प्रार्थी के संयुक्त कब्जा काश्त व सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार की दखल अंदाजीने तथा उक्त रकबा में से किसी भू भाग को रहन बैय व हस्तान्तरण करने से बाज व ममनू रहे तथा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करे जिससे प्रार्थी अपने कब्जा काश्त की उक्त भूमि से बेदखल होता हो।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आये। जिसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी पैरोकार राज की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं कानूनी प्रावधानों पर मनन किया गया बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि वाके चक 2 डी.एम. तहसील श्री विजयनगर की खतौनी संख्या 45/42 मुरब्बा नं. 86 प.नं. 103/19 में 6.198 है. नहरी भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि चक 2 डी.एम. तहसील श्री विजयनगर की खतौनी संख्या 45/42 मुरब्बा नं. 86 प.नं. 103/19 में 6.198 है. नहरी भूमि में 1/6 हिस्सा को वाद पत्र के अन्तिम निस्तारण तक बेचान नहीं करे इस आश्य का स्थगन आदेश जारी किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(प्रियंका बिश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Digitally signed by Priyanka Bishnoi
Date: 2022.04.19 17:01:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner